

ख. नि०-6

T.R.-6

(खजाना नियम 92 देखिए)

(See Rule 92)

(मुख्य पृष्ठ)

(Obverse)

चालान न०

Challan No.

कृपया बतायें

Please indicate whether

सिविल/ Civil

रक्षा/ Defence

रेलवे/ Railway

डाकतार/ Post & Telegraphs

खजाना/उप-खजाना

में संदत्त नकद का चालान

भारत के स्टेट/रिजर्व बैंक

32297521131

Treasury Branch, Chd

Challan of cash paid into Treasury/Sub-Treasury at State/Reserve Bank of India

प्रेषक द्वारा भरा जाए

To be filled in by the remitter

विभागीय आफिसर या खजाने द्वारा भरा जाए
To be filled in by the Departmental Officer or the Treasury

किसके द्वारा निविदित किया गया By when tendered	उस व्यक्ति का नाम (या पदाभिधान) और पता जिसकी ओर से धन संदत्त किया गया Name (or designation and address of the person on whose behalf money is paid)	प्रेषण की ओर/या पदाधिकारी की (यदि कोई हो) पूर्ण विशिष्टियाँ Full particulars of the remittance and or authority (if any)	रकम Amount		लेखा शीर्षक Head of Account	लेखा आफिसर जिसके द्वारा समायोजन हो सकता है Account Officer by whom adjustable	बैंक का आदेश Order to the Bank
			रु. Rs.	पै. P.			
हस्ताक्षर Signature							तारीख सही है। प्राप्त करो और रसीद अनुदत्त करो (धन संदत्त करने का आदेश देने वाले आफिसर का नाम और पूरा पदाभिधान) Date Correct: Receive and grant receipt. (Signature and full Designation of the Officer or during the money to be paid in).

* रुपये (शब्दों में)

* (in words) Rupees

विभागीय आफिसर या खजाना आफिसर की माफत केवल बैंक को किए जाने वाले प्रेषणों की दशा में प्रयुक्त किया जाए।
To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer of the Treasury Officer

प्राप्त संदत्त (शब्दों में) रुपये
Received payment (in words) Rupees

कोषपाल
Treasurer

Zonal Accountant
Zonal Accountant (CBDT)
Chandigarh

तारीख
Date

खजाना आफिसर
अधिकर्ता या प्रबंधक
Treasury Officer
Agent or Manager
(कृपया P.T.O.)

Printed by : Shakumbra Press, Karnal

